



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25022026-270486
CG-DL-E-25022026-270486

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 2026/फाल्गुन 6, 1947

No. 137]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 25, 2026/PHALGUNA 6, 1947

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2026

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026

फा. सं. आई.बी.बी.आई./2025-26/जी.एन./आर.ई.जी.137.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017 के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में, उप-खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण – इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करेगा और बोर्ड द्वारा परिपत्र के माध्यम से अधिसूचित प्ररूप के अनुसार ऐसे दस्तावेज़ रखेगा।”

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./714/2025-26]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 130, तारीख 31 मार्च, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.010, तारीख 31 मार्च, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 81, तारीख 29 जनवरी, 2025 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2024-25/जी. एन./आर.ई.जी.120, तारीख 28 जनवरी, 2025 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक समापन प्रक्रिया)(संशोधन) विनियम, 2025 द्वारा किया गया था।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th February, 2026

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2026

F. No. IBBI/2025-26/GN/REG137.—In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to further amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017, in regulation 3, in sub-regulation (1), in clause (b), after sub-clause (ii), the following explanation shall be inserted, namely:-
“Explanation –For the purposes of this regulation, a registered valuer shall prepare the valuation report and maintain such documentation as per the format notified by the Board through circular.”

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./714/2025-26]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG010, dated 31st March, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 130 on 31st March, 2017 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) (Amendment) Regulations, 2025 published vide notification No. IBBI/2024-25/GN/REG120, dated the 28th January, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No.81 on 29th January, 2025.